न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

निगरानी संख्या 12/13 तारीख रजू– 21/05/13

1– रामधन धाकड़ पुत्र रामकुंवार जाति धाकड़ निवासी चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
––––निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा जरिये संरपच /सचिव ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा
2– अध्यक्ष मन्दिर श्री चौथ माता ट्रस्ट चौथ का बरवाड़ा । –अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 30/03/17

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा के प्रस्ताव संख्या 9 में पारित निर्णय दिनांक 10/05/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा ने अध्यक्ष कार्यालय मन्दिर श्री चौथ माता ट्रस्ट चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर यात्रियों की सुविधा व ग्राम के सौन्दर्य हेतु शिव मन्दिर सी0सी0 एवम् परकोटे के बीच की भूमि पर पार्क बनाने हेतु अनापत्ति प्रमाण देने हेतु सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है। जिस क्रम में दिनांक 16/05/2012 को अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। निगरानी गुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 9 में पारित निर्णय दिनांक 10/05/2012 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस ने निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव संख्या 9 में पारित निर्णय दिनांक 10/05/2012 द्वारा ग्राम चौथ का बरवाड़ा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.75 है0, 1167/503 रकबा 0.76 है0, 1168 रकबा 0.27है0, 1172 रकबा 2.03है0, 1173 रकबा 1.42 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.63 है0 भूमि जो आबादी विस्तार हेतु खाली पड़ी हुई थी। उक्त भूमि पार्क बनाने के लिए दी जाकर दिनांक 16/05/2012 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा बिना कोई मौका निरीक्षण किए निर्णय पारित कर दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय में यह भी उल्लेखित नहीं किया है कि पार्क बनाने हेतु किस खसरा नम्बर में से कितनी भूमि दी जा रही है। चौथ माता ट्रस्ट के सदस्य के रूप में सरपंच के पति श्री शंकरलाल माली सम्मिलित है जिन्होने अपने प्रभाव का उपयोग कर आनन फानन में निर्णय पारित करवा लिया है। अतः उक्त निगरानी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

17/P

स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/05/2012 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर पार्क बनाया जा सकता है। पार्क पर मालिकाना हक ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा का है। पार्क की देखभाल की जिम्मेदारी श्री चौथ माता ट्रस्ट की होगी। पार्क (गार्डन) जनउपयोगी हेतु ही रहेगा तथा कोई ट्रस्ट व व्यक्ति पक्का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन सुरक्षा हेतु चार दिवारी का निर्माण करवा सकता है। उक्त वाद आराजीयात वर्तमान में भी पंचायत समिति के नाम ही है। किसी व्यक्ति विशेष व संस्था/ट्रस्ट के नाम नहीं है। ग्राम चौथ का बरवाड़ा के सौन्दर्यकरण हेतु उक्त भूमि पंचायत समिति द्वारा ट्रस्ट को पार्क निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है, साथ ही उक्त निगरानी निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि दिनांक 08/05/2012 को अध्यक्ष मन्दिर श्री चौथमाता ट्रस्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पार्क बनाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस कम में उक्त प्रार्थना पत्र पंचायत चौथ का बरवाड़ा ने कोरम में रखा एवं कोरम में उपस्थित समस्त सदस्यों की स्वीकृति से उक्त प्रस्तावं संख्या 9 निर्णय दिनांक 10/05/2012 पारित किया गया। उक्त प्रस्ताव संख्या 9 में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि उक्त पार्क पर स्वामित्व ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा का होगा। गार्डन जनउपयोगी हेतु ही रहेगा तथा ट्रस्ट पक्का निर्माण नही करेगा। लेकिन सुरक्षा हेतु चार दिवारी का निर्माण कर सकता है। पार्क पर किसी भी प्रकार का टेक्स लगाने का अधिकार भी ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। जिससे स्पष्ट है कि उक्त पार्क पर स्वामित्व पंचायत समिति का है। पंचायत समिति द्वारा उक्त वाद आरजीयात किसी को भी हस्तान्तरित नहीं की गई है। निगरानी में उपलब्ध दस्तावेज व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट नहीं होता कि उक्त वाद आराजीयात व अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय से निगरानी कर्त्ता का कोई हित–निहित होता हो, साथ ही अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जनसुविधा एवं पंचायत समिति के सौन्दर्यकरण की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। अतः मेरे अभिमत में निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा प्रस्ताव संख्या 9 में पारित निर्णय दिनांक 10/05/2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2017 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर